पर्चा डिक्री

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 10/2021

1. रामकुमार पुत्र जगनाराम जाति जाट निवासी कणाउ त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. जगनाराम पुत्र जीतराम जाति जाट निवासी कणाउ त0 भादरा।
2. राजेराम पुत्र जगनाराम जाति जाट निवासी कणाउ त0 भादरा।
3. रामनिवास पुत्र जगनाराम जाति जाट निवासी कणाउ त0 भादरा।
4. चन्द्रो पुत्री जगनाराम जाति जाट निवासी कणाउ हाल निवासी चक चिड़ियागांधी त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री श्रवण सहारण एवं वकील प्रतिवादीगण श्री श्रवण सहारण ।। की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं0 78/78 के खसरा सं0 222/1 की 2.403है0 खसरा सं0 421 की 0.455है0 खसरा सं0 425 की 6.374है0 कुल 9.232है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 जगनाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें तन्हा प्रतिवादी सं 1 जगनाराम की बजाए वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादी सं0 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रामकुमार प्रतिवादी सं0 1 जगनाराम प्रतिवादी सं0 2 राजेराम प्रतिवादी सं0 3 रामनिवास को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ........ को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:21:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) भादरा
(सत्यनारायण)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

# न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

## पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 10/2021

1. रामकुमार पुत्र जगनाराम जाति जाट निवासी कणाउ त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. जगनाराम पुत्र जीतराम जाति जाट निवासी कणाउ त0 भादरा।
2. राजेराम पुत्र जगनाराम जाति जाट निवासी कणाउ त0 भादरा।
3. रामनिवास पुत्र जगनाराम जाति जाट निवासी कणाउ त0 भादरा।
4. चन्द्रो पुत्री जगनाराम जाति जाट निवासी कणाउ हाल निवासी चक चिड़ियागांधी त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री श्रवण सहारण: वादीगण

वकील श्री श्रवण सहारण ।। : प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक : 31-03-21

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं0 78/78 के खसरा सं0 222/1 की 2.403है0 खसरा सं0 421 की 0.455है0 खसरा सं0 425 की 6.374है0 कुल 9.232है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 जगनाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा जीतराम की खातेदारी हुआ करती थी। जीतराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 जगनाराम ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ [illegible] गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया [illegible] प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के [illegible] वादी एवं प्रतिवादी सं 1 ता 3 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। जबकि प्रतिवादी सं 4 ने दावा की सभी मद संख्याओं को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया । प्रतिवादी सं0 5 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:21:34 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 रामकुमार पुत्र जगनाराम के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही कणाउ खाता सं0 78/78 प्रदर्श 2 नामान्तरण दिनांक 17.12.1978 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताविक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही कणाउ के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही कणाउ खाता सं0 78/78 प्रदर्श 2 नामान्तरण दिनांक 17.12.1978 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 3 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 1 में वारिस प्रमाण के अनुसार जगनाराम के तीन पुत्र रामकुमार, राजेराम, रामनिवास व एक पुत्री चन्द्रो तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 जन्म से हक हिस्सा निहित है। चूकिं प्रतिवादी सं0 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।।

## क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा कणाउ के खाता सं0 78/78 के खसरा सं0 222/1 की 2.403है0 खसरा सं0 421 की 0.455है0 खसरा सं0 425 की 6.374है0 कुल 9.232है0 बारानी खातेदारी प्रतिवादी सं0 1 जगनाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उसमें तन्हा प्रतिवादी सं 1 जगनाराम की बजाए वादी व प्रतिवादी सं 1 ता 3 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूकिं प्रतिवादी सं0 4 ने अपना हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी रामकुमार प्रतिवादी सं0 1 जगनाराम प्रतिवादी सं0 2 राजेराम प्रतिवादी सं0 3 रामनिवास को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे [illegible] अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/03/21 [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.04.08 11:21:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक (सत्यनारायण)
कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner